

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2023—भाद्र 15, शक 1945

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो-सी-1, दिनांक 3 मई 2023 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :—

- | | |
|---|---------|
| 1. मान. न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी | अध्यक्ष |
| 2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट | सदस्य |
| 3. मान. न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भाटी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 6th September 2023

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of order No. F-31-23-1980-II-c-1 Dated 3 May, 2023 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Hon'able Justice Shri Sanjay Dwivedi | Chairman |
| 2. | Hon'able Justice Shri Vishal Dhagat | Member |
| 3. | Hon'able Justice Shri Maninder Singh Bhati | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY TIWARY, Secy.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—प्रिवेन्शन आफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सब्स्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो-सी-1, दिनांक 3 मई 2023 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगत | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भाटी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 6th September 2023

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pshychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of order No. F-31-23-1980-II-c-1 Dated 3 May, 2023 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Hon'able Justice Shri Sanjay Dwivedi | Chairman |
| 2. | Hon'able Justice Shri Vishal Dhagat | Member |
| 3. | Hon'able Justice Shri Maninder Singh Bhati | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY TIWARY, Secy

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 का. सं. 17) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो-सी-1, दिनांक 3 मई 2023 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :—

- | | |
|---|---------|
| 1. मान. न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी | अध्यक्ष |
| 2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगत | सदस्य |
| 3. मान. न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भाटी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 6th September 2023

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam, 2000 (No. 17 of 2001) and in supersession of order No. F-31-23-1980-II-c-1 Dated 3rd May, 2023 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :—

- | | |
|---|----------|
| 1. Hon'able Justice Shri Sanjay Dwivedi | Chairman |
| 2. Hon'able Justice Shri Vishal Dhagat | Member |
| 3. Hon'able Justice Shri Maninder Singh Bhati | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY TIWARY, Secy.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का. सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 31-23-1980-दो-सी-1, दिनांक 3 मई 2023 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :—

- | | |
|---|---------|
| 1. मान. न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी | अध्यक्ष |
| 2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगत | सदस्य |
| 3. मान. न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भाटी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय तिवारी, सचिव.

Bhopal, the 6th September 2023

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of order No. F-31-23-1980-II-c-1 Dated 3rd May, 2023 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Hon'able Justice Shri Sanjay Dwivedi | Chairman |
| 2. | Hon'able Justice Shri Vishal Dhagat | Member |
| 3. | Hon'able Justice Shri Maninder Singh Bhati | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY TIWARY, Secy.